

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या रक्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र **उत्तराखण्ड**

(ii) जिला **अल्मोड़ा**

(iii) जिला वन प्रभाग

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **2,205**

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: **स्लन्स ४**

(i) वन का प्रकार

आरक्षित वन एवं पंचमत वन

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

०.६

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा **संलग्न ४**

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थंतराकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: **अः क्षरण की घटावाना दी ४**

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा: **२**

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा: **रिक्त**

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य उपयोग के लिए अपेक्षित वृक्षों की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावच्च की जाए) **नहीं**

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य उपयोग के लिए अपेक्षित वृक्षों की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावच्च की जाए) **नहीं**

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य उपयोग के लिए अपेक्षित वृक्षों की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावच्च की जाए) **नहीं**

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो उपावच्च किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) **नहीं**

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुवित्तयुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियों दें:

) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **हाँ**

ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश मिले गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

4. किए गए अतिकरण के ब्यौरे : **शून्य**

i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकरण में किसी कार्य को किया गया है हां/नहीं)

ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकरण में अंतर्द्विलित वन भूमि, अतिकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) या नाम, नाम और पंद्रहाम स्थित अतिकरण के ब्यौरे और अतिकरण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **नहीं**

ii) क्या अतिकरण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

5. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : **संलग्न है**,

) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथमि। **आवासित भूमि**

i) अवरिथमि, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए ए गैर वन क्षेत्र या अवनुत वन जैसे ब्यौरे हैं।

ii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनुत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 पके मूल में स्थल परंतु भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **संलग्न है**

v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक रोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए युल वित्तीय उपरिव्यय :

i) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से प्रहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के रैमें संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने जैसे उप वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

. रचीकृत या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनियोग सिफारिशों **संस्कृति के उपर्युक्त** हैं ज्ञात

स्थान:

तिथि: 10/6/2021

Mahesh
हस्ताक्षर प्रभासीक वनस्पति युक्त
प्रभासीक वन प्रकाश उपलब्धि